कई रेल परियोजनाओं को हरी झंडी

प्रधानमंत्री मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू कीं, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार

धुव्राक्ष साहा

लोक सभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात में 1.06 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें रेलवे की 85,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं भी शामिल हैं। रेलवे की जिन परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई, उनमें दस वंदे भारत ट्रेन सेवाएं भी हैं। पिछले दो-तीन वर्षों में केंद्र सरकार का पूरा जोर से रेलवे का ढांचा दुरुस्त करने पर रहा है।

नई शुरू होने वाली वंदे भारत रेलगाड़ियां अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम, मैसूर-चेन्नई, पटना-लखनऊ, नई जलपाईगुड़ी-पटना, पुरी-विशाखापत्तनम, लखनऊ-देहरादून कलबुर्गी-सर एम विश्वैश्वरैया टर्मिनल बेंगलूरु, रांची-वाराणसी और खजुराहो- दिल्ली (निजामुद्दीन) के बीच चलेंगी। मंगलवार को चार वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार भी किया गया है।

वंदे भारत का स्लीपर संस्करण बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इससे मौजूदा समय में छोटे रूटों पर चल रहीं ट्रेनों को लंबी दूरी पर चलाने में खासी मदद मिलेगी।

मोदी ने कहा कि केंद्र के दृष्टिकोण से तालमेल बिठाकर रेलवे में सुधार के कई कार्य किए गए हैं। इनमें हर साल अलग से पेश होने वाले रेलवे बजट को मुख्य आम बजट में शामिल कनना भी शामिल रहा है। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार ने रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बनाने जैसा जोखिम भरा कदम उठाया है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। रेलवे में बदलाव विकसित भारत की गारंटी है। रेलवे में रिकॉर्ड निवेश आया है। नतीजतन कई क्षेत्रों में इसकी क्षमता में विस्तार किया गया है। ।

कई बड़ी दुघटनाओं को देखते हुए रेलवे ने रोलिंग स्टॉक प्रणाली लागू की है। इसके तहत रखरखाव और मरम्मत का कार्य साल में दो बार किए जाएंगे। इससे महत्त्वपूर्ण यह कि रेल मशीनरी में मरम्मत या सुधार की जरूरत बहुत कम रह जाती है।

अन्य परियोजनाओं में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। साथ ही ईस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के कई खंडों का भी उद्घाटन किया। नया खंड पंजाब और बिहार को जोड़ता हैं। पश्चिमी डेडिकेड में लगातार देर होती जा रही है। अब इसके 2025 तक पूरा होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोनेट एलएनजी के दहेज में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल्स कांप्लेक्स की आधारशिला रखी। इस परियोजना के मूर्त रूप ले लेने के बाद ऐसी संभावना है कि देश में हाइड्रोजन उत्पादन में काफी मददगार साबित होगा।

अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया

नई शुरू होने वाली वंदे भारत ट्रेन

- अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल
- सिकंदराबाद - विशाखापत्तनम
- मैसूर - चेन्नई
- पटना-लखनऊ
- नई जलपाईगुड़ी-पटना
- पुरी - विशाखापत्तनम
- लखनऊ - देहरादून
- कलबुर्गी - सर एम विश्वैश्वरैया टर्मिनल बेंगलूरु
- रांची-वाराणसी
- खजुराहो - दिल्ली (निजामुद्दीन)

- रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, रेलवे में बदलाव विकसित भारत की गारंटी
- पेट्रोनेट एलएनजी के 20,000 करोड़ की लागत के पेट्रोकेमिकल्स कांप्लेक्स की आधारशिला रखी

पोकरण आत्मनिर्भरता, विश्वास, आत्म-गौरव का गवाह बना : मोदी

राजस्थान के पोकरण में मंगलवार को 'भारत शक्ति' अभ्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोकरण भारत की 'आत्मनिर्भरता, विश्वास और आत्म-गौरव' का गवाह बन गया है। सेना के तीनों अंगों का समन्वित अभ्यास पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में करीब 50 मिनट तक हुआ, जहां भारत ने अपने स्वदेशी रक्षा उपकरणों की उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने आसमान में गर्जना की और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर एमके-4 ने उड़ान भरी, जबकि मुख्य लड़ाकू टैंक अर्जुन और के-9 वज्र, धनुष तथा सारंग तोपखाना प्रणालियों ने जमीन पर गोलाबारी की। पिनाक उपग्रह प्रणाली जैसे प्लेटफॉर्म और कई ड्रोन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, 'भारत शक्ति अभ्यास के दौरान आसमान में विमान की गर्जना और जमीन पर प्रदर्शित किया गया पराक्रम नए भारत का आह्वान है।' उन्होंने याद किया कि यह पोकरण ही था, जहां अतीत में भारत का परमाणु परीक्षण किया गया। मोदी ने कहा, 'पोकरण भारत की आत्मनिर्भरता, विश्वास और आत्म-गौरव का गवाह बन गया है।' यह अभ्यास जैसलमेर शहर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर किया गया, जिस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे।

रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि इतने व्यापक स्तर पर किया गया अपनी तरह का यह पहला अभ्यास है जो किसी (उत्तरी या पश्चिमी सीमा की) दिशा या किसी विरोधी के प्रति निर्देशित नहीं था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को कहा था, 'यह स्वदेश में तैयार किए गए समाधानों के जरिये समकालिक और भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने एवं उनसे निपटने की भारत की तैयारियों का एक स्पष्ट संकेत देते है। साथ ही, 'भारत शक्ति' वैश्विक स्तर पर देश की रक्षा क्षमताओं की मजबूती और इसमें नवाचार को प्रदर्शित करता है।' **भाषा**

खट्टर का इस्तीफा, सैनी बने मुख्यमंत्री

अर्चिस मोहन

शपथ लेते नायब सिंह सैनी

हरियाणा विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल के खत्म होने में 8 महीने से भी कम वक्त बचा है और लोक सभा चुनाव करीब है लेकिन राज्य में सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को मनोहर लाल खट्टर की जगह पार्टी के प्रदेश प्रमुख नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त करने का फैसला किया। सैनी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) नेता है। वह 2019 में पहली बार कुरुक्षेत्र से लोक सभा सांसद बने।

उन्होंने, निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह चौटाला सहित पांच मंत्रियों के साथ मंगलवार शाम शपथ ली। खट्टर सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे अनिल विज को नई मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली और वह पार्टी विधायकों की बैठक में भी शामिल नहीं हुए।

मंगलवार सुबह खट्टर ने नाटकीय तरीके से अपने मंत्रिपरिषद के 13 सदस्यों के साथ इस्तीफा दे दिया। पंजाबी खत्री समुदाय से ताल्लुक रखने वाले खट्टर को 2014 में राज्य में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था जिससे सभी को हैरानी हुई थी। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद भी वह इस पद पर बने रहे।

वर्ष 2019 में भाजपा बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई और इसने जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के साथ एक गठबंधन सरकार बनाई। भाजपा नई मंत्रिपरिषद में अपने 13 मंत्रियों में से चार को रखा है। इसमें जेजेपी के विधायक नहीं हैं जबकि पिछले मंत्रिमंडल में इस दल के तीन मंत्री थे जिनमें पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भी शामिल हैं जो उप मुख्यमंत्री थे। जेजेपी भाजपा के साथ मिलकर लोक सभा चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि भाजपा की प्रदेश इकाई ने जेजेपी के साथ सीट-साझेदारी का विरोध किया था। वर्ष 2019 में भाजपा ने हरियाणा में सभी 10 लोक सभा सीटें जीत लीं थीं।

इस घटनाक्रम से यह अंदाजा मिलता है कि दोनों दलों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। जेजेपी ने इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली में अपने नेताओं की बैठक बुलाई थी लेकिन इसके बांच विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए जिससे अटकलें लगनी शुरू हो गईं। पार्टी नेताओं ने कहा कि वे इस हफ्ते के बाद अपनी भविष्य की रणनीति की घोषणा करेंगे। पार्टी ने सूत्रों ने कहा कि सैनी की नियुक्ति से यह अंदाजा मिलता है कि भाजपा नेतृत्व की भूमिका ओबीसी को देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में भी दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव को इसी वजह से चुना गया। उन्होंने कहा कि माली जाति के सैनी को चुनने से पार्टी को राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस समुदाय को अपने खेमे में लाने में मदद मिल सकती है। हाल के वर्षों में भाजपा ने कार्यकाल के बीच में ही कर्नाटक, उत्तराखंड, त्रिपुरा और गुजरात में अपने मुख्यमंत्री बदले हैं।

कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

तीन पूर्व सीएम पुत्रों को मिला टिकट

कांग्रेस ने मंगलवार को लोक सभा चुनाव के लिए अपने 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के नाम शामिल हैं। कांग्रेस लोक सभा चुनाव के लिए अब तक 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस सूची में असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से तीन और दमन एवं दीव से एक उम्मीदवार का नाम शामिल है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने लोक सभा चुनाव के मद्देनजर पांच राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के लिए सोमवार को 60 से अधिक उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की थी जिनमें 43 पर मुहर लगाई थी। वैभव गहलोत को राजस्थान के जालोर लोक सभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत पिछले लोक सभा चुनाव में जोधपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हालांकि उन्हें केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत से हार का सामना करना पड़ा था। नकुल नाथ को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। वह 2019 में इसी सीट से पहली बार निर्वाचित हुए थे।

मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष

लोक सभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई असम के जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। वह वर्तमान में कलियाबोर लोक सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। असम में परिसीमन के चलते उन्हें नए क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। **भाषा**

एसबीआई ने दिया चुनावी बॉन्ड का विवरण

एसबीआई ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मंगलवार शाम को निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण सौंपा। अदालत ने सोमवार को एसबीआई को 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक, निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम पांच बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। सूत्रों के मुताबिक, एसबीआई ने शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करते हुए चुनावी बॉन्ड का विवरण निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। **भाषा**

गूगल जेमिनी पर नहीं मिलेगी चुनावी जानकारी

शिवानी शिंदे

गूगल के आर्टिफिशल इंटेलीजेंस (एआई) प्लेटफॉर्म जेमिनी के जरिये चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। यह भारत में कोई भी उपयोगी जानकारी चाहने वाले इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए गूगल की ओर से जारी किए गए फीचर में से एक है।

कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि उम्मीदवार, राजनीतिक दल, चुनाव परिणाम अथवा किसी भी चुनाव अधिकारी के संबंध में सवाल का जवाब जेमिनी द्वारा नहीं दिया जाएगा बल्कि वह यूजर को गूगल सर्च की तरफ निर्देशित कर देगा, जहां उसे अधिक प्रासंगिक जानकारी मिल सकेगी। भारत में लोक सभा चुनाव के मद्देनजर गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में मंगलवार को कहा, 'ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए हमने चुनाव संबंधी सवालों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। इनके बारे में जेमिनी उपभोक्ता को वापस गूगल सर्च पर जाने की सलाह देगा। लोगों को उच्च गुणवत्ता की सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपने सुरक्षा तंत्र को सुधारने पर काम कर रहे हैं।'

'सीएए पर चिंता न करें मुसलमान'

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सीएए पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं। मंत्रालय ने सीएए के संबंध में मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग की आशंका को दूर करने की कोशिश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि 'इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।' केंद्र ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के वास्ते नागरिकता (संशोधन) कानून को सोमवार को अधिसूचित किया। मंत्रालय ने कहा, 'उन तीन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह खराब हुई है। हालांकि, इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते, कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा, हिंसा, उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है।' **भाषा**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
Hamesha Aapke Liye
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
बड़ौदा सन टॉवर, मुंबई
www.bankofbaroda.in
निविदा सूचना
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, फ़ायरवॉल और एनआईपीएस की आपूर्ति, इन्स्टालेशन और रखरखाव के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in के निविदा खंड और गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध है।
अन्य सूचना, यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर निविदा खंड में जारी किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें ।
प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 3 अप्रैल, 2024 है।
स्थान: मुंबई
दिनांक : 13.03.2024
मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)
(146/23-24)

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust
अंचल कार्यालय, वसूली विभाग, प्रथम तल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष :011-23753827, 011-49498261, 011-49498285
ई-नीलामी विक्रय सूचना
(सरफैसी अधिनियम 2002 के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 5, 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के तहत बैंक के पास गिरवीकृत अचल सम्पत्ति की बिक्री की ई-नीलामी बिक्री। नीचे उल्लिखित कर्जदार के खाते में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी(यों) द्वारा बैंक के बकायों की वसूली हेतु **"जहाँ है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** के आधार पर इसकी बिक्री के अधिकार सहित निम्नलिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। ई-नीलामी की तिथि एवं समय : **30 मार्च, 2024 को 01:00 बजे अप. से 5:00 बजे** अपराह्न के बीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम, आईएफएससी सं., खाता सं., दूरभाष नं. एवं ई-मेल	कर्जदार तथा जमानती का नाम	बकाया राशि (रु. लाख)	सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार	सम्पत्ति के स्वामी का नाम	एमआरपी / ईएमडी	सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति	सरकारी बकाया यदि कोई हो
1.	निजामुद्दीन पश्चिम शाखा आईएफएससी कोड: UCBA0000249 ईएमडी खाता सं. 02490210001172 nizamu@ucobank.co.in	श्री नवीन कुमार वर्मा तथा सुश्री शकुन्तला देवी	रु. 4.29 लाख + अप्रयुक्त ब्याज तथा अन्य आकस्मिक प्रभार	आवासीय संपत्ति नं. आरजेड-9/71-बी, दूसरी मंजिल आर.एच.एस फ्लैट, गली नं. 12, खसरा नंबर 501 मिन में से, तुगलकाबाद एक्सटेंशन नई दिल्ली 110019, क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट।	सांकेतिक कब्जा	श्री नवीन कुमार वर्मा पुत्र श्री हरकिशन वर्मा	रु. 15.00 लाख / रु. 1.50 लाख	27.03.2024 शाखा प्रबंधक श्री दीपक कुशवाहा 8910894042	ज्ञात नहीं
2.	चावड़ी बाजार शाखा आईएफएससी कोड: UCBA0000070 ईएमडी खाता सं. 00700210000977 chawri@ucobank.co.in	मैसर्स अजय सैनिटेशन प्रोपराइटर श्री अजय रावत	रु. 23.48 लाख + अप्रयुक्त ब्याज तथा अन्य आकस्मिक प्रभार	व्यावसायिक संपत्ति की दुकान नंबर 8 और 9, परिसर नंबर 3379 में, चंद्र प्रकाश गुप्ता गली राय बहादुर, तबेला बाला प्रसाद, सीताराम बाजार, दिल्ली - 110006, क्षेत्रफल 208 वर्ग फुट।	भौतिक कब्जा	श्री अजय रावत	रु. 22.50 लाख / रु. 2.25 लाख	27.03.2024 शाखा प्रबंधक श्री संदीप कुमार 9917230408	ज्ञात नहीं
3.	मॉडल बाश शाखा आईएफएससी कोड: UCBA0000488 ईएमडी खाता सं. 04880210001721 modelb@ucobank.co.in	श्री राकेश सूद	रु. 2.96 लाख + अप्रयुक्त ब्याज तथा अन्य आकस्मिक प्रभार	वाणिज्यिक संपत्ति कार्यालय संख्या 404, चौथी मंजिल, संपत्ति संख्या श्क1657(नई), खसरा संख्या 1374, 1375/958, गली नंबर 35, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली1110005, सुपर एरिया 129.60 वर्ग फीट।	भौतिक कब्जा	श्री राकेश सूद	रु. 4.54 लाख / रु. 0.45 लाख	27.03.2024 शाखा प्रबंधक सुश्री तृप्ति कुमारी 9140020718	ज्ञात नहीं
4.	गाजियाबाद शाखा आईएफएससी कोड: UCBA0000850 ईएमडी खाता सं. 08500210002988 ghazia@ucobank.co.in	मैसर्स कुमार बिल्डर पार्टनर 1: श्री विपिन कुमार माथुर पार्टनर 2 : सुश्री नीलिमा माथुर	रु. 2.63 लाख + अप्रयुक्त ब्याज तथा अन्य आकस्मिक प्रभार	आवासीय संपत्ति फ्लैट नं. बी-538-सी तीसरी मंजिल ब्लॉक बी बाल्मिकी कुंज पटेल नगर 2, गाजियाबाद (उ.प्र.) 201001, विशाल क्षेत्रफल 247 वर्ग फीट।	भौतिक कब्जा	श्री विपिन कुमार माथुर पुत्र स्व. श्री गोपी चन्द माथुर	रु. 7.81 लाख / रु. 0.79 लाख	27.03.2024 शाखा प्रबंधक श्री देवेन्द्र सिंह 9654240814	ज्ञात नहीं

अधिक पूछताछ और विवरणों के लिए आप श्रीमती डिम्पल बत्रा (मुख्य प्रबंधक) 7508508664 या श्री रोहित पाहुजा (वरिष्ठ प्रबंधक) 9519517777, या श्री रोहित पाहूजा (वरिष्ठ प्रबंधक) 9519517777, या सुश्री रानी कुमारी (प्रबंधक) 8210925632 से संपर्क कर सकते हैं।

1. नीलामी बिक्री केवल ई-बिक्रे पोर्टल के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" होगी। सम्भावित क्रेताओं के लिए यूआरएल : **https://ibapi.in** तथा नीलामी वेबसाइट के लिए यूआरएल : **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp**. नीलामी 30.03.2024 को 01:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप. के बीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित उपर्युक्त सम्पत्ति के सम्मुख उल्लिखित समय (भा.मा.स.) के अनुसार होगी।
2. सभी इच्छुक बोलीदाता अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगे। बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता (एमएसटीसी) द्वारा निर्धारित केवाईसी दस्तावेज और पंजीकरण शुल्क प्रदान करके ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। एक बार एमएसटीसी द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, पंजीकरण सभी केवाईसी दस्तावेजों और पंजीकरण शुल्क जमा करने की तारीख से अधिकतम दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर सक्रिय हो जाएगा।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को एमएसटीसी हेल्पडेस्क : 033- 22901004 से अग्रिम में ही पोर्टल के साथ पंजीकृत होना होगा और लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है, प्रचालन/पंजीकरण की स्थिति : **ibapiop@mstcecommerce.com**. फाइनेंस के ईएमडी की स्थितिः **ibapifin@mstcecommerce.com**. फाइनेंसर्क्ईएमडी की स्थिति : **ibapifin@mstcecommerce.com**. हेल्पलाइन ई-मेल आईडी : **rranjan@mstcindia.co.in**.
4. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए वेबसाइट **https://ibapi.in** देखें।
5. संबंधित विवरण के साथ बोलियां निर्धारित प्रारूप में केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी।
6. उपरोक्त संपत्ति के लिए जमा धरोहर राशि (ईएमडी) पोर्टल पर पंजीकरण के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा केवल वॉलेट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर (एमएसटीसी) में फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी।
7. ऑनलाइन जमा किए गए संलग्नक (यूटीआर नंबर का उल्लेख करते हुए) के साथ बोली प्रपत्र की एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबंधक, यूको बैंक, संबंधित शाखाओं को सौंपी जाएगी या उसकी सॉफ्ट प्रतियां ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को भेजी जाएंगीः **zonewdelhi.rec@ucobank.co.in**
8. बोली मूल्य न्यूनतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी) के बराबर/या उससे अधिक होगा लेकिन सम्पत्ति सं. 1 से 5 के लिए रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) के गुणकों में होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि प्रथम ऑनलाइन संविदा (एच1) जो ऑनलाइन फारवर्ड नीलामी के दौरान सिस्टम में आती है उसमें संविदाएँ जमा करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त उच्चतम संविदाओं से उच्चतर बढ़ोतरी की जा सकती है अर्थात प्रारम्भिक मूल्य से एक बढ़ोत्तरी अथवा बढ़ोत्तरी के गुणक द्वारा प्रारम्भिक मूल्य से उच्चतर। नीलामी के दौरान, आउटबिड से आने वाली अनुगामी संविदा का एच1 रेट एच1 रेट से एक बढ़ोत्तरी उच्चतर होना चाहिए अथवा बढ़ोत्तरी मूल्यों के गुणक में होना चाहिए।
9. सफल संविदाकारों को विक्रय के उसी दिन उपर्युक्त क्लॉज 7 में उल्लिखित माध्यम से ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया के बन्द होने के तुरन्त बाद संविदा राशि (पहले से प्रदत्त धरोहर राशि सहित) का 25% जमा करना होगा। क्रय मूल्य का शेष 75% अधोहस्ताक्षरी द्वारा सफल संविदाकार को स्वीकृति/पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अदा करना होगा।
10. यदि सफल संविदाकार उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार संविदा राशि जमा करने में असफल हो जाता है तो संविदाकार द्वारा जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. असफल संविदाकार(रों) की ज.ध.रा. ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया के बन्द होने पर लौटा दी जायेगी।
12. विक्रय बैंक की पुष्टि का विषय है। यदि कर्जदार/जमानती विक्रय से पूर्व सम्पूर्ण राशि बैंक को अदा कर देता है तो कोई विक्रय संचालित नहीं होगा।
13. सम्पत्ति का विक्रय "जहाँ है वहाँ है तथा जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर किया जायेगा तथा इच्छुक संविदाकार को बैंक के प्रभारों के अतिरिक्त किसी प्राधिकरण की सम्पत्ति के सम्बन्ध में ठोस पूछताछ कर लेनी चाहिए और अपनी संविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति के स्वामित्व, गुणवत्ता तथा मात्रा के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए। ऑनलाइन संविदा जमा करने के पश्चात विक्रय हेतु रखी सम्पत्ति, प्रभारों, किसी अन्य मामले में सम्पत्ति पर ऋणभारों आदि किसी भी प्रकृति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताए किसी संविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने, विक्रय को स्थगित/विलम्बित/निरस्त करने /किसी नियम तथा शर्तों को परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार एवं विशेषाधिकार है।
15. क्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रभार, सरकार को देय समस्त विधिक बकाये, कर/जीएसटी एवं दरें तथा सम्पत्ति से सम्बद्ध वर्तमान तथा भावी व्यय सहित स्टैम्प शुल्क, प्रभार आदि वहन करने होंगे। विक्रय प्रमाणपत्र सफल संविदाकार के नाम से ही निर्गत किया जायेगा।
16. यह विक्रय सरफैसी अधिनियम/नियम 2002 में निर्धारित शर्तों तथा उपर्युक्त शर्तों के अध्यधीन है।

यह प्रकाशन सूचना विशेष रूप से कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ताओं को सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिवसीय बिक्री सूचना भी है।

दिनांक : 12.03.2024, स्थान : नई दिल्ली
अधिकृत प्राधिकारी, यूको बैंक